P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

समान ि"ाक्षा का अधूरा सपना

मंजय कुमार
प्राचार्य,
आइ0ए0एम0आर0,
मेरठ, भारत

सारांश

अक्सर यह सवाल उठता है कि स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे का नारा फ्रांस में ही सबसे पहले क्यों लगा? गैर बराबरी के विरूद्ध क्रान्ति फ्रांस से ही क्यों प्रारम्भ हो सकी, जबकि यूरोप के दूसरे मुल्कों में स्थिति फ्रांस से कई अधिक बदतर थी। इन सबके पीछे एक ही कारण था और वह था फ्रांस की उत्तम ि"ाक्षा व्यवस्था और ज्ञान का प्रसार। फ्रांस में रूसो, वाल्टेयर जैसे विचारकों की ि"ाक्षा ने मानवीय अधिकार, प्रजातन्त्र और समानता के आद"ार् के प्रति जनता को अधिक सचेत और जागरूक बनाया। ि"ाक्षा को लेकर भारत में भी एक लंबे समय से संघर्ष किया जाता रहा है, फिर भी यहां का समाज नहीं बदला। आज से 135 बरस पहले जिस समस्या की ओर फुले ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था वह आज भी बरकरार है। कोई भी सरकार ि"ाक्षा में गैर बराबरी दूर करने में सफल नहीं हो सकी है। सभी ने एकसमान ि"ाक्षा व्यवस्था की ओर कदम बढाने के बजाए गैर बराबरी बढाने वाली नीति अपनाई है। दावे चाहे जितने भी किये जाय, संविधानों, और कानूनों में चाहे जितने प्रावधान किये जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षार्थ समतामूलक समाज की स्थापना लाने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कितने ही लच्छेदार भाषण क्यों न दिये जाय, लेकिन अभी भी भारत में समान ि"ाक्षा का सपना अधूरा है।

मुख्य शब्द : आकर्षित, प्रतिपादित, सर्वमान्य, औचित्य, संवैधानिक।

प्रस्तावना

ि"ाक्षा समग्र परिवर्तन का उपक्रम ही नहीं उपकरण भी है। विकास की प्रक्रिया विकसित ि"ाक्षा पद्धति की अनुपस्थिति में ि"ाथिलता से जकड़ जाती है। हालांकि सिर्फ ि"ाक्षा की महत्ता के जान लेने से ही न तो ि"ाक्षा अपने लक्ष्य पूर्ण कर पाती है और न प्रगति की राह सुगम हो पाती है। इसके लिए यह आव"यक है कि ि"ाक्षा दे"ा की आव"यकता के अनुरूप हो, क्योंकि किसी दे"ा की ि"ाक्षा व्यवस्था जितनी उत्तम होगी। दे"ा उतना ही सभी क्षेत्रों में विकास करेगा।

इस सिलसिले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 19 अगस्त, 2015 के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें न्यायाधी"ा ने कहा था कि प्रदे"ा की स्कूली ि"ाक्षा तभी सुधर सकती है जब मंत्रियों और अफसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। अदालत का आदे"ा था कि जो भी अफसर, मंत्री या कर्मचारी सरकारी कोष से वेतन लेते है उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा। अभी वे ही बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते है जो गरीब है। जब अधिकारियों के बच्चे भी इन स्कूलों में पढेंगे तो सरकार को इन्हें बेहतर बनाना ही पडेगा। न्यायाधी"ा ने प्रदे"ा के मुख्य सचिव को हिदायत भी दी कि इस काम के लिए वे जा भी तरीका अपनाएं उसकी पूरी रिपोर्ट छह महीनों के भीतर जमा करें। साथ ही जो इस निर्णय का पालन नहीं करे, सरकार उसके खिलाफ दंड का प्रावधान सुनि"चत करें। इससे यह उम्मीद जागी कि सरकारें गैर बराबरी दूर करने वाले इस आदे"ा का पालन करने के लिए कोई कदम जरूर उठाएंगी ऐसा नहीं हुआ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बातों में कुछ नया नहीं था। 1882 में ज्योतिबा फूले ने हंटर आयोग को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ि"ाक्षा के मामलें में ब्रिटि"ा सरकार केवल उच्च जातियों की ही मदद करतो आ रही है जबकि सरकार की आय मुख्यतः निम्न जातियों के परिश्रम से होती हे। 1911 में जब गोखले ने इम्पीरियल असेंबली के सामने गुप्त और अनिवार्य स्कूली ि"ाक्षा का बिल रखा तो उसका काफी विरोध हुआ था। वर्धा में आयोजित 1937 के राष्ट्रीय ि"ाक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने तत्कालीन कांग्रेस शासित सात प्रांतों में अनिवार्य और मुफ्त स्कूल ि"ाक्षा लाने की पूरी कोि"ा"ा की थी, मगर असफल रहे। आजादी के बाद डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त अनिवार्य स्कूल ि"ाक्षा को भारतीय संविधान का अंग बनाया। ि"ाक्षा के जरिए गैर बराबरी दूर करने के लिए 1966 में कोठारी आयोग ने 'पडोस स्कूल' की

अवधारणा दी। अर्थात प्रत्येक इलाके का अपना एक स्कूल होगा जिसमें उस इलाके में रहने वाले सभी लोगों के लिए यह जरूरी होगा कि ये अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढने के लिए भेजेंगे जो उनके इलाके के लिए निर्धारित किया गया है। प्रवे"ा में गरीब–अमीर, जाति–धर्म, मालिक–मजदूर, जमींदार–किसान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभव नहीं किया जाएगा। 1968 में बनी दे"ा की पहली f"ाक्षा समिति ने कोठारी के विचारों का समर्थन किया। 1986 में बनी दूसरी f"ाक्षा समिति और 1992 को स"ोधित समिति ने भी इसका अनुमोदन किया। जयप्रका"ा नारायण ने भी कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित पडोस स्कूल की अवधारणा के लिए आवाज उठाई। दुख की बात है कि इतना सबकुछ होने के बाद भी स्थिति बदली नहीं है।

मॉडल स्कूलों के नाम पर खास वर्गो के लिए स्कूल बनाए गए। केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। फीस के नाम पर लाखों रूपए वसूलनें वाले प्राईवेट स्कूलों ने तो इन सभी को काफी पीछे छोड दिया। इन स्कूलों की फीस अब और ज्यादा समस्या बन गई है। अनगिनत संख्या में बने सरकारी स्कूल इन स्कूलों से बिल्कुल अलग है, जबकि इन्हीं में दे"ा की बहुसंख्यक जनता अपने बच्चों को पढने के लिए भेजती है। यह एक सर्वमान्य धारणा बन चुकी है कि सरकारी स्कूलों में पढाई नहीं होती और विद्यार्थियों को मामूली सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती। औसतन प्रत्येक स्कूल में तीन अध्यापक है जो है उनमें कुछ ही पढाने में दिलचस्पी रखते है जब तक सरकार में बैठे लोग स्वयं इन कमियों का अनुभव नहीं करेंगे तब तक सरकारी स्कूलों की द"ाा सुधरने वाली नहीं।

f"ाक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

यद्यपि भारत सरकार ने सभी के लिए नि:"ाुल्क एवं अनिवार्य तथा समान f"ाक्षा के लिए f"ाक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया।

f"ाक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लम्बी कहानी है। प्रारम्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद–45 में यह घोषणा की गई थी कि–

'राज्य संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की कालावधि के अन्दर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक नि:"ाुल्क एवं अनिवार्य f"ाक्षा देनें के लिए प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।'

और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं नि:"ाुल्क f"ाक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया। आगे चलकर 2002 में 86 वें संविधान स"ोधन किया गया। इस स"ोधन द्वारा संविधान में एक नए अनुच्छेद–21क जोड़ा गया जो इस प्रकार है–

'राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:"ाुल्क और अनिवार्य f"ाक्षा देनें की ऐसी रीति म, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपबन्ध करेगा।''

और इसी 86वें संविधान स"ोधन द्वारा संविधान के भाग–4 क में वर्णित मूल कर्त्तव्यों में एक नया मूल कर्त्तव्य 51 (ट) जोड़ा गया जो इस प्रकार है–

'माता–पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक के लिए f"ाक्षा के अवसर प्रदान करें।'

आगे चलकर 2009 में बालकों का नि:"ाुल्क और अनिवार्य f"ाक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इन्हें संक्षेप में f"ाक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु, वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की नि:"ाुल्क f"ाक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया है। इसके मुख्य तत्व प्रस्तुत हैं–

नि:"ाुल्क और अनिवार्य f"ाक्षा का बालक का अधिकार

6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालकों को प्रारम्भिक f"ाक्षा पूरी होने तक किसी आस–पास के विद्यालय में नि:"ाुल्क और अनिवार्य f"ाक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

प्रवे"ा न दिए गए बालकों या जिन्होंनें प्रारम्भिक f"ाक्षा पूरी नहीं की है के लिए वि"ोश उपबंध

यदि कोई बच्चा 6 वर्ष को आयु पर किसी विद्यालय में प्रवे"ा नहीं ले पाता है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवे"ा ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारम्भिक f"ाक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढाई पूरी होने तक, उसे नि:"ाुल्क f"ाक्षा दी जाती रहेगी।

अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार

यदि किसी स्कूल में प्रारम्भिक f"ाक्षा करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानान्तरण लेनें का अधिकार होगा।

माता–पिता संरक्षक का कर्त्तव्य

पत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढने के लिए भर्ती कराए।

नि:"ाुल्क और अनिवार्य f"ाक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा

सरकारी विद्यालय तो शुल्क f"ाक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और वि"ोष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल मुद्राओं के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रति"ात स्थान आरक्षित करने होंगे।

छात्र–f"ाक्षक अनुपात

इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को यह सुनि"चत करना होगा कि f"ाक्षक–छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1.40 से अधिक न हो।

यद्यपि f"ाक्षा का अधिकार अधिनियम f"ाक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अधिनियम किन्तु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसको कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है।

1964–66 के बाद कोई राष्ट्रीय f"ाक्षा आयोग नहीं बना। इसलिए उसे बनाने के साथ नई f"ाक्षा नीति भी बनाई जानी चाहिए। बेहतर हो कि चुनाव आयोग की

तर्ज पर एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था बने और वह ि"ाक्षा को समयानुकूल परिवर्तित एवं स"ोधित करती रहे। हमारे नीति नियंताओं को यह पता होना चाहिये कि ि"ाक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से एक बेहतर समाज का निर्माण करना सम्भव है। अच्छा होगा कि सरकारे ि"ाक्षा को सुधारने के साथ समानता की ि"ाक्षा पर वि"ोष ध्यान दें। इसमें देरी का कोई ओचित्य नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

निश्कर्श

अन्ततः इस लेख का यही संदे"ा है कि जो कवि दुयष्त की वाणी से निकला है।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना
मेरा मकसद नहीं
मेरी कोि"ा"ा है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।

अर्थात ि"ाक्षा की इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए ताकि एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

लाल बिहारी, समकालीन भारत और ि"ाक्षा, 2016, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।

लाल, बिहारी, भारतीय ि"ाक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, आर लाल. बुक डिपो, मेरठ।

दैनिक जागरण, 8 मार्च, 2017, बेतिया, पटना, बिहार।

दैनिक जागरण, 17 अप्रैल, 2017, गाजियाबाद, उ0 प्र0।

जो''ाी, धनंजय, नैतिक ि"ाक्षा एवं नागरिक बोध, कनिष्क पब्लि''ार्स डिस्ट्रीब्यूट्र्स नई दिल्ली।

सक्सेना एन0आर0 स्वरूप समकालीन भारत तथा ि"ाक्षा, आर लाल पब्लिके''ान मेरठ